FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सी

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा दावा नं. 165 सन [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
15.09.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 23.09.2021 को पेश हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
23.09.2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय/आदेश पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 23/9/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:23:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
165/2009	2009/00015	15.07.2009	23.09.2021

उनवान

1. मरूधर कंवर बेवा राजेन्द्रसिंह उम्र– 40 वर्ष
2. गगन सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह उम्र– 14 वर्ष
3. रेणु कंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह उम्र– 17 साल
4. निकी कंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह उम्र–16 साल
   नाबालिगान् जरिये संरक्षक प्राकृतिक माता मरूधर कंवर
5. सुशीला कंवर बेवा विजयसिंह उम्र–35 साल
6. रतनसिंह उम्र–10 साल पुत्री विजय सिंह
7. प्रियंका कंवर उम्र– 8 साल पुत्री विजय सिंह
8. हेना कंवर उम्र– 5 साल पुत्री विजय सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

वादीगण

बनाम

1. भूमिधारी राज0 सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री रघुनाथ सिंह शेखावत, वादीगण अभिभाषक।
पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर, प्रतिवादी नं. 1 व 2 अभिभाषक

वादपत्र बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड अंतर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955

:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराने 1642 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा तन् ग्राम नाथूसर तहसील [illegible] खातेदारी वादीगण के बुजुर्ग फूलसिंह राजपूत के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि के [illegible] 4008 रकबा 1.3800 हैक्टर अंकित किये गये। जबकि नये खसरा नम्बर [illegible] 4777 भी उक्त पुराने खसरा नम्बर 1642 का ही भाग है जो राजस्व नक्शा से स्पष्ट [illegible]बित है परन्तु उक्त भूमि पुराने खसरा नम्बर 1642 के बीच में से होकर सड़क निकाली गई तो उक्त भूमि के दो भाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:23:57 IST
Reason: SelfAttested

23/09/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

खसरा नम्बर 4008 व 4266/4777 हो गये। जिसमें भूमि खसरा नम्बर 4008 की खातेदारी को वादीगण के बुजुर्ग स्वरूपसिंह पुत्र फूलसिंह राजपूत के नाम दर्ज कर दी गई परन्तु नये खसरा नम्बर 4266/4777 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण के बुजुर्ग ससुर/दादा स्वरूपसिंह के नाम से हटा दी गई जो राजस्व कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही से हटा दी गई तथा सरकार के नाम गैर कानूनी रूप से दर्ज की गई जबकि उक्त नया खसरा नम्बर 4266/4777 वादीगण के पुराने खसरा नम्बर 1642 का ही भाग है। वादीगण उक्त भूमि पर पूर्णतया वक्त बुजुर्गान स्वरूपसिंह पुत्र फूलसिंह राजपूत के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वादीगण से पूर्व उनके बुजुर्ग ससुर/दादा स्वरूपसिंह पुत्र फूलसिंह व उसके बाद वादीगण के पति/पिता राजेन्द्र सिंह व विजयसिंह काबिज काश्त चले आ रहे थें तथा वर्तमान में वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण को उक्त भूमियों की खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज किये जाने की जानकारी नहीं हो सकीं परन्तु अर्सा 15 रोज पूर्व हल्का पटवारी से सम्पर्क करने व राजस्व रिकार्ड की जानकारी किये जाने पर मालूम चलने पर खातेदारी वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का निवेदन वकील वादीगण के द्वारा किया गया है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी नं. 2 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से होने पर हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में भू प्रबन्ध अधिकारी सीकर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिस पर भू प्रबन्ध अधिकारी सीकर ने जरिये पत्रांक 139 दिनांक 1.3.2011 के द्वारा अवगत कराया कि तहसील श्रीमाधोपुर में भू–प्रबन्ध कार्यवाही चालू नहीं होने से समस्त रिकार्ड जिला कलक्टर (भू.अ.) सीकर के यहॉ जमा करवाये जाने बाबत रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिस पर श्रीमान जिला कलक्टर सीकर से रिपोर्ट ली गई। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर ने जरिये पंत्राक 3197/रीडर दिनांक 24.10.2011 के द्वारा अवगत कराया कि पुराने खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर की तुलनात्मक तालिका भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार की जाती है जो इस कार्यालय में जमा नहीं करवाई गई है। नये खसरा नम्बर के आगे पुराने खसरा नम्बर मिसल बन्दोबस्त में मिलान क्षेत्रफल में दर्ज होता है। मिसल बन्दोबस्त की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर के कार्यालय में मौजूद होने बाबत अवगत कराया गया। इसके उपरान्त तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पंत्राक 410/भू.अ./2021 दिनांक 05.02.2021 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील वादीगण ने आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस की रोशनी में पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड जैसे नोटरा ... जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075, 2060–2063, जमाबन्दी सम्वत् 2019 से 2022, 2023 से 2026, 2027 से 2030, 2031 से 2034, नक्शा ट्रेस, भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, आधार वर्ष जमाबन्दी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:23:57 IST
Reason: SelfAttested

23/09/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

मिलान क्षेत्रफल, श्रीमान भू प्रबन्ध विभाग, सीकर, श्रीमान जिला कलक्टर महो. सीकर व तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से पाया गया कि भू प्रबन्ध अधिकारी सीकर ने जरिये पत्रांक 139 दिनांक 1.3.2011 के द्वारा अवगत कराया कि तहसील श्रीमाधोपुर में भू–प्रबन्ध कार्यवाही चालू नहीं होने से समस्त रिकार्ड जिला कलक्टर (भू.अ.) सीकर के यहॉ जमा करवाये जाने बाबत रिपोर्ट प्राप्त होने पर श्रीमान जिला कलक्टर सीकर से रिपोर्ट चाही गई। श्रीमान जिला कलक्टर सीकर ने जरिये पंत्राक 3197/रीडर दिनांक 24.10.2011 के द्वारा अवगत कराया कि पुराने खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर की तुलनात्मक तालिका भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार की जाती है जो इस कार्यालय में जमा नहीं करवाई गई है। नये खसरा नम्बर के आगे पुराने खसरा नम्बर मिसल बन्दोबस्त में मिलान क्षेत्रफल में दर्ज होता है। मिसल बन्दोबस्त की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर के कार्यालय में मौजूद होने बाबत अवगत कराया गया। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पंत्राक 410/भू.अ./2021 दिनांक 05.02.2021 के द्वारा अवगत कराया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1642 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 4008 रकबा 1.38 हैक्टर बनने तथा साबिक खसरा नम्बर 1642 के बीच में से होकर सड़क निकलने से नवीन खसरा नम्बर 4008 व खसरा नम्बर 4266/4777 राजस्व नक्शा के अनुसार बनना पाया जाने तथा खसरा नम्बर 4008 रकबा 1.38 हैक्टर की खातेदारी मुताबिक राजस्व रिकार्ड पूर्व खातेदार के नाम यथावत दर्ज होने लेकिन खसरा नम्बर 4266/4777 रकबा 0.63 हैक्टर का राजस्व रिकार्ड में कही भी अंकन नहीं होने तथा खसरा नम्बर 4266/4777 को पुराने खसरा नम्बर 1642 का ही भाग होने से खसरा नम्बर 1642 के जो खातेदार है। वही खातेदार खसरा नम्बर 4266/4777 के भी खातेदार होना प्रकट होता है। खसरा नम्बर 4266/4777 रकबा 0.63 हैक्टर की खातेदारी खसरा नम्बर 4008 रकबा 1.38 के खातेदारों के नाम दर्ज करने की सिफारिश तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशंषा रिपोर्ट अनुसार वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराने 1642 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 4008 रकबा 1.3800 हैक्टर व खसरा नम्बर 4266/4777 [illegible] गये जो पुराने खसरा नम्बर 1642 का ही भाग होने से वादीगण को उक्त खसरा नम्बर 4266/4777 रकबा 0.63 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 4266/4777 के आगे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:23:57 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

रकबा अंकित नहीं होने से रकबा 0.63 हैक्टर अंकित किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। दावा दायरी के समय वादीगण सं. 2, 3, 4, 6, 7 व 8 का नाबालिग होना अंकित किया है जिनमें से निर्णय दिनांक को जो भी वादीगण बालिग हो गये है उनके नाम रिकार्ड में दर्ज एंव जो वादीगण बालिग नहीं हुए है उनको जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता दर्ज रिकार्ड किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त की जावें। इसी कदर पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

23/09/21

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 23.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/09/21

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:23:57 IST
Reason: SelfAttested